आदेश सं. आईआरडीएआई/बीआरके/ओआरडी/विविध/101/7/2024 दिनांकः 12 जुलाई, 2024
Order No. IRDAI/BRK/ORD/MISC/101/7/2024 Date: 12th July, 2024

मेसर्स प्रावेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अधीन
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
Order of Insurance Regulatory and Development Authority of India under
Section 102 of the Insurance Act, 1938
in the matter of M/s Prowess Insurance Brokers Private Limited

---

निम्नलिखित के आधार पर / Based on:

i. मेसर्स प्रावेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "प्रावेस" के रूप में उल्लिखित) को जारी किया गया संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/डीबी 368/07/प्रावेस/एससीएन दिनांक 29 फरवरी, 2024 से युक्त कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद "एससीएन" के रूप में उल्लिखित)।
Show Cause Notice (hereinafter referred to as "SCN") with reference No. IRDAI/INT/DB 368/07/Prowess/SCN dated 29th February, 2024, issued to M/s Prowess Insurance Brokers Private Limited (hereinafter referred to as "Prowess").

ii. उक्त एससीएन के लिए प्रावेस का उत्तर दिनांक 19 मार्च, 2024।
Response of Prowess dated 19th March, 2024, to the SCN.

iii. आईआरडीएआई, हैदराबाद में 2 मई, 2024 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान प्रावेस द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।
The submissions presented by Prowess during the personal hearing held on 2nd May, 2024 at IRDAI, Hyderabad.

iv. वैयक्तिक सुनवाई के बाद प्रावेस द्वारा पत्र दिनांक 18 जून, 2024 के अनुसार किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण।
Further submissions by Prowess post personal hearing vide letter dated 18th June, 2024.

पृष्ठभूमि / Background:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित) ने प्रावेस, जिनका पंजीकृत कार्यालय 401, चारकोप साई सृष्टि सीएचएस लि., प्लाट सं. 7, आरएससी-25, सेक.-8, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-400067 में है, से संदर्भ संख्या यूआरएन सं. बीआर-आरएनडब्ल्यू-6978-2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 से युक्त एक आवेदन आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (इस आदेश में इसके बाद "विनियम" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 14 के अनुसार प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण) बीमा दलाल के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए 22 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए अपने बीमा दलाली पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करते हुए प्राप्त हुआ।
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "the Authority") received an application with reference URN No. BR-

RNW-6978-2021 dated 18th August, 2021 from Prowess, having its registered office at 401, Charkop Sai Shrishti CHS Ltd., Plot No. 7, RSC-25, Sec-8, Charkop, Kandivali West, Mumbai – 400067, seeking renewal of its insurance broking registration for the period from 22nd September, 2021 till 21st September, 2024, to continue acting as Direct (Life & General) Insurance Broker in accordance with Regulation 14 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as "the Regulations").

2. उक्त आवेदन की जाँच-पड़ताल करने पर प्रावेस के प्रस्तुतीकरणों से प्रारंभिक तौर पर यह देखा गया कि उसके नवीकृत पंजीकरण की पिछली अवधि के दौरान प्रावेस ने भारत में बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण) रूप में कोई बीमा दलाली व्यवसाय नहीं किया, परंतु इसके बजाय केवल विदेशी बीमा दलालों, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ जोखिम परामर्शी/जोखिम प्रबंध सेवाओं में ही लिप्त रहा।
Upon scrutinizing the application, it was initially noted from the submissions of Prowess that during the previous period of its renewed registration, Prowess did not conduct any insurance broking business in Direct (Life & General) with insurers in India but rather only engaged in Risk Advisory / Risk Management Services with foreign insurance brokers, insurance companies and reinsurance companies.

3. प्रावेस से उपर्युक्त अवलोकन के संबंध में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके उत्तर में प्रावेस ने कहा कि पिछले नवीकरण से लेकर वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र – गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय (इस आदेश में इसके बाद "आईआईआईओ" के रूप में उल्लिखित) स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रावेस ने आईआरडीएआई (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय) दिशानिर्देश, 2019 (इस आदेश में इसके बाद "दिशानिर्देश" के रूप में उल्लिखित) के अधीन आईआईआईओ स्थापित करने के लिए 2019 में आईआरडीएआई को एक आवेदन प्रस्तुत किया और 17 अगस्त, 2020 को अनुमोदन प्राप्त किया। उक्त आईआईआईओ के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा करते हुए उसने अस्थायी तौर पर अपने व्यवसाय का फोकस बेहतर व्यवसाय के अवसर प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंध सेवाओं की ओर अंतरित किया।
Prowess was asked to furnish its comments regarding the aforementioned observation. In response Prowess stated that, since the last renewal, it was trying to establish an International Financial Service Centre Insurance Intermediary Office (hereinafter referred to as "IIIO") in International Financial Service Centre - Gift City, Gandhinagar, Gujarat. Prowess submitted an application to IRDAI in 2019 for establishing the IIIO under the IRDAI (International Financial Service Centre Insurance Intermediary Offices) Guidelines, 2019 (hereinafter referred to as "the Guidelines"), and received approval on 17th August, 2020. While awaiting approval for the IIIO, it had temporarily shifted its focus of business towards Insurance Risk Advisory and Risk Management services to grab better business opportunities.

4. अतिरिक्त रूप से, प्रावेस से कहा गया कि जोखिम परामर्शी / जोखिम प्रबंध सेवाओं के अंतर्गत सेवाओं की व्याप्ति के संबंध में, तथा क्या ये सेवाएँ देने के लिए औपचारिक करार विद्यमान हैं, इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। प्रावेस ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि व्यापक "व्यवसाय की शर्तें" के करार प्रावेस और प्रतिपक्षकारों (विदेशी बीमा दलाल/पुनर्बीमा कंपनी) के बीच निष्पादित किये गये हैं, जिनके आधार पर उन्होंने विदेशी मुद्रा में राजस्व अर्जित किया। उक्त जोखिम परामर्शी / जोखिम प्रबंध सेवाओं ने अपतटीय बीमा जोखिम-अंककों द्वारा ग्राहकों के प्रवेश (आनबोर्डिंग) के

साथ संबद्ध जोखिम के गहन विश्लेषण तथा विदेशी जोखिम अंककों के उपयोग के लिए ग्राहकों के जोखिम विश्लेषण को संबद्ध किया।

Additionally, Prowess was asked to furnish its explanation on the scope of services under Risk Advisory / Risk Management Services, the basis for the fees charged and whether formal agreements were in place for providing these services. Prowess responded by stating that comprehensive "Terms of Business" agreements were executed between Prowess and the counter parties (overseas insurance broker / insurance company / reinsurance company), based on which it earned revenue in foreign exchange. The Risk Advisory / Risk Management Services involved a thorough analysis of the risk associated with client onboarding by offshore insurance underwriters and risk analysis of clients for the use of foreign risk underwriters.

5. तदुपरांत, प्रावेस से कहा गया कि अपने ग्राहकों को जोखिम परामर्शी / जोखिम प्रबंध सेवाएँ देने के लिए किये गये करार / अधिदेश (मैंडेट) और संबंधित रिपोर्टें प्रस्तुत करें। तथापि, प्रावेस ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि कोई औपचारिक करार नहीं किये गये हैं, तथा व्यवसाय सद्भाव (गुड फेथ) के आधार पर संचालित किया गया।

Later, Prowess was asked to submit Agreements / Mandates and corresponding reports for providing Risk Advisory / Risk Management Services to its clients. Prowess, however, responded by stating that no formal agreements were entered into and that business was conducted on the basis of good faith.

6. प्रावेस से कहा गया कि अपने व्यवसाय के माडल को चित्रित करनेवाला एक व्यापक प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करें। इसके उत्तर में, प्रावेस ने अपने व्यवसाय माडल की रूपरेखा देते हुए निम्नलिखित कदम-दर-कदम प्रक्रिया प्रस्तुत कीः

Prowess was asked to provide a comprehensive flow chart depicting its business model. In response, Prowess submitted the following step-by-step procedure outlining its business model:

क. ग्राहक बीमा भागीदारों को प्रावेस से परिचय कराता है जिनके साथ उन्होंने बीमारक्षा (कवर) के लिए संपर्क किया है।

a. Client introduces Prowess to the Insurance partners whom they have approached for the cover.

ख. प्रावेस विदेशी परियोजना की बीमा आवश्यकताओं की चर्चा, विश्लेषण और आकलन तथा इसी के बारे में विदेशी बीमा जोखिम-अंकक के साथ विचार-विमर्श में ग्राहक की सहायता करता है। प्रत्यक्ष दलाल होने के अनुभव के बल पर प्रावेस उक्त प्रश्नों का समाधान करने में ग्राहक की सहायता करता है।

b. Prowess assist the client in the discussion, analysis and assessment of the insurance requirements of the overseas project and discussion on same with overseas insurance underwriter. Prowess assist the client in resolving the queries having experience of being the direct brokers.

ग. उनके प्रश्नों का समाधान करने और जोखिम को समझने तथा भाषा संबंधी अवरोधों, यदि कोई हों, को न्यूनतम बनाने के द्वारा ग्राहक और बीमा जोखिम-अंककों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है।

c. Liasioning between the client and the insurance underwriters by their query solving and understanding of the risk and mitigating the language barriers, if any.

घ. यदि बीमा जोखिम-अंकक बीमा कवर का जोखिम-अंकन करने के लिए सहमति देता है, तो परामर्शी शुल्क/दी गई सेवा के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए प्रभार लगाये जाते हैं।

d. If insurance underwriter agrees to write insurance cover, charging for advisory fee/premium payment for the service provided.

ङ. जोखिम-अंकित जोखिम की समीक्षा की जाती है और पालिसी नोट जारी किया जाता है।

e. Reviewing the risk underwritten and issued policy note.

7. प्रावेस से आगे यह भी कहा गया कि वे राजकोषीय वर्ष 2017-18 और अनुवर्ती अवधियों से संबंधित बैंक लेनदेनों का विवरण तदनुरूपी बैंक विवरणों के साथ प्रस्तुत करें।
Prowess was further asked to submit bank transaction details pertaining to the fiscal year 2017-18 and subsequent periods along with corresponding bank statements.

8. प्रावेस ने अपने प्रस्तुतीकरणों के साथ उत्तर दिया, जिससे यह पाया गया कि प्रावेस ने अपने ग्राहकों के लिए व्यवसाय के कार्यकलाप अपने मुंबई कार्यालय और आईआईआईओ से राजकोषीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक विदेश स्थित बीमा दलालों, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ संचलित किये थे।
Prowess reverted with its submissions, wherefrom, it was observed that Prowess had conducted business activities for its clients from its Mumbai office and IIIO with insurance brokers, insurance companies and reinsurance companies located abroad from fiscal year 2017-18 to 2020-21.

9. प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "आईएफएससीए" के रूप में उल्लिखित) से सूचना प्राप्त की कि प्रावेस ने प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये अपने पंजीकरण के समाप्त होने के बाद भी आईएफएससी-गिफ्ट सिटी में अपना व्यवसाय करना जारी रखा। आईएफएससीए ने राजकोषीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रावेस द्वारा किये गये व्यवसाय के लेनदेनों के विवरण तथा अपने निरीक्षण के निष्कर्षों को साझा किया जिनसे विदित हुआ कि प्रावेस ने अपने आईआईआईओ से 15 अक्टूबर, 2021 को एक व्यावसायिक लेनदेन किया। यह लेनदेन प्रावेस द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपने पंजीकरण के समाप्त होने के बाद संचालित किया गया।
The Authority received information from the International Financial Services Centre Authority (hereinafter referred to as "IFSCA") that Prowess continued to transact business at IFSC-Gift City even after the expiry of its registration granted by the Authority. IFSCA shared the details of the business transactions conducted by Prowess for the fiscal years 2021-22 and 2022-23 and its inspection findings which revealed that Prowess engaged in a business transaction on 15th October, 2021, from its IIIO. This transaction was conducted by Prowess after the expiry of its registration under the said Guidelines.

एससीएन, आरोप और वैयक्तिक सुनवाई / SCN, Charges and Personal Hearing:

10. प्रावेस द्वारा किये गये सभी प्रस्तुतीकरणों तथा आईएफएससीए से प्राप्त सूचना की जाँच के अनुसरण में यहाँ नीचे उल्लिखित आरोपों के लिए प्रावेस को एक एससीएन दिनांक 29 फरवरी, 2024 जारी किया गया।
Pursuant to examination of all the submissions of Prowess and the information received from IFSCA, an SCN dated 29th February, 2024 was issued to Prowess for the charges mentioned hereunder.

11. विनियमों के विनियम 2(च) और 13(1) का उल्लंघन जो निम्नानुसार निर्धारित करता हैः
Violation of Reg. 2(f) and 13(1) of the Regulations which stipulates as follows:

विनियम 2(च) - ""प्रत्यक्ष दलाल" से प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत एक बीमा दलाल अभिप्रेत है, जो एक पारिश्रमिक और/या एक शुल्क के लिए, अपने ग्राहकों के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और व्यवस्था भारत में स्थित बीमाकर्ताओं के पास करता है और/या दावा परामर्श, जोखिम प्रबंध सेवाएँ या इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत अन्य इसी प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराता है"
Reg. 2(f) - ""Direct Broker" means an Insurance Broker, registered by the Authority, who for a remuneration and/or a Fee, solicits and arranges insurance business for its clients with insurers located in India and/or provides claims consultancy, Risk Management services or other similar services, permitted under these regulations"

विनियम 13(1) – "इन विनियमों के अधीन पंजीकृत बीमा दलाल एकमात्र तौर पर इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत रूप में बीमा दलाल का व्यवसाय करने के लिए कार्य करेगा"
Reg. 13(1) - "The Insurance Broker registered under these regulations shall act exclusively to carry on the business of an insurance Broker as permitted under these regulations"

12. दिशानिर्देशों के खंड 11 और 15(ख) का उल्लंघन जो निम्नानुसार निर्धारित करता हैः
Violation of Clause 11 and 15(b) of the Guidelines which stipulates as follows:

खंड 11 – "पहली बार प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया प्राधिकार (आथराइजेशन) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पंजीकरण के मूल प्रमाणपत्र की समाप्ति तक तथा उसके बाद इसके साथ समाप्त होनेवाली अवधि (को-टर्मिनस) के लिए विधिमान्य है"
Clause 11 - "The authorization granted by the Authority for the first time shall be valid till the expiry of the certificate of registration issued by the Authority and thereafter for a period co-terminus with the expiry of the original certificate of registration"

खंड 15(ख) – "प्राधिकार (आथराइजेशन) का नवीकरण बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के साथ (को-टर्मिन्स) समाप्त होगा"
Clause 15(b) - "The renewal of authorization shall be co-terminus with the period of certificate of registration of the insurance intermediary"

13. प्रावेस ने उक्त एससीएन के लिए अपने पत्र दिनांक 19 मार्च, 2024 के द्वारा प्रत्युत्तर दिया। उस पत्र में प्रावेस द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार, वैयक्तिक सुनवाई का एक अवसर 2 मई, 2024 को प्रदान किया गया।
Prowess responded to the SCN vide its letter dated 19th March, 2024. As requested by Prowess therein, a personal hearing was granted on 2nd May, 2024.

14. उक्त वैयक्तिक सुनवाई में प्रावेस का प्रतिनिधित्व सुश्री प्रियंका पोद्दार (व्यवसाय प्रमुख), सुश्री माधवी पाटकर (वरिष्ठ प्रबंधक) और श्री उमेश चौबे (वरिष्ठ प्रबंधक – लेखा) ने किया। प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा (सदस्य – बीमांकक), श्री राजय कुमार सिन्हा (सदस्य – वित्त व निवेश), सुश्री अनीता जोसुला (मुख्य महाप्रबंधक – विभाग प्रमुख), श्री के. महिपाल रेड्डी (मुख्य महाप्रबंधक), श्री मोहम्मद अयाज़ (उप महाप्रबंधक) और श्री विशेष दीवान (प्रबंधक) द्वारा किया गया।
In the personal hearing, Prowess was represented by Ms. Priyanka Poddar (Business Head), Ms. Madhavi Patkar (Sr. Manager) and Mr. Umesh Chaubey (Sr. Manager - Accounts). The Authority was represented by Mr. Parmod Kumar

Arora (Member-Actuary), Mr. Rajay Kumar Sinha (Member-F&I), Ms. Anita Josyula (CGM-HOD), Mr. K. Mahipal Reddy (CGM), Mr. Mohammad Ayaz (DGM) and Mr. Vishesh Diwan (Manager).

प्रावेस के प्रस्तुतीकरण / Submissions of Prowess:

15. प्रावेस के प्रस्तुतीकरणों का सारांश यहाँ नीचे दिया गया है:
The submissions of Prowess are summarized hereunder:

क. प्रावेस भारतीय ग्राहकों के साथ संबद्ध विदेशी बीमा कंपनियों को परामर्शी सेवाएँ देता है। इस प्रक्रिया में वह विनियामक अनुपालन पर फोकस करता है, अनुपालन की जाँच संचालित करता है, वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है, ऋण का आकलन/निर्धारण करता है। प्रावेस ने व्यवसायों की समुचित सावधानी बढ़ाने में अपने ग्राहकों की सहायता की है।

a. Prowess offers consultancy services to foreign insurance companies engaged with Indian clients, focusing on regulatory compliance, conducting compliance checks, reviewing financial statements, assessing credit. Prowess helped its clients in increasing due diligence of businesses.

ख. बीमाकर्ता जिनके लिए सेवाएँ दी गई थीं, प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, प्रावेस ने दलाली विनियमों में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं पाया, जो स्पष्ट रूप से बीमा दलाल को भारत के बाहर पंजीकृत बीमाकर्ता को जोखिम प्रबंध सेवाएँ देने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय रखने से निषिद्ध करता है। प्रावेस ने सदैव विनियमों का पालन किया है।

b. The insurers for whom the services were rendered are not registered with the Authority. Further, Prowess does not find any restriction in the Broking regulations which expressly prohibits an insurance broker having office in Gift City to render risk management services to an insurer registered outside India. Prowess has always abided by the Regulations.

ग. अधिकार-क्षेत्र अधिक विशिष्ट रूप से अफ्रीकी क्षेत्र में देखते हुए, कुछ अधिकार-क्षेत्र, अमेरिकी डालर में निधियाँ विप्रेषित करने की जटिल प्रक्रिया से, बहुविध विनियामक अनुमोदनों के पालन से बचने के लिए, संबंधित जोखिम में संबद्ध पुनर्बीमा संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष दलाली या कमीशन विप्रेषित करने के लिए वरीयता देते हैं।

c. In view of jurisdiction more particularly in African Region, certain jurisdictions, in order to avoid the intricate process of remitting funds in USD, adherence to multiple regulatory approvals, prefer to remit direct brokerage or commissions through reinsurance entities involved in the relevant risk.

घ. प्रावेस पुनर्बीमा सेवाओं में संबद्ध नहीं है। प्रावेस भारतीय ग्राहकों को बीमा विषयों से संबंधित परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराने/प्रस्तावित करने के द्वारा आरएमएस (जोखिम प्रबंध सेवाएँ) और सह-दलाली में सक्रिय है।

d. Prowess is not engaged in reinsurance services. Prowess is engaging in RMS (Risk Management Services) and co-broking by providing/offering consultation services pertaining to insurance matters to Indian Clients.

ङ. प्रावेस ने आईआईआईओ के लिए अनुमोदन प्रदान किये जाने से पहले अपने मुंबई कार्यालय से बैरेंट्स आरई और कुछ अन्य संस्थाओं का व्यवसाय, प्रयोगात्मक आधार पर, किया था।

e. Prowess had transacted business of Barents Re and some other entities from its Mumbai office before the grant of approval for IIIO, on an experimental basis.

च. लाइसेंस के नवीकरण के लंबित होने के बावजूद, प्रावेस जोखिम न्यूनीकरण में वर्तमान ग्राहकों को बीमा समाधान और सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। प्रावेस ने विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान की, जिनमें व्यापार और विनिर्माण में शीर्षस्थ नाम, बड़ा ठेकेदार और ईपीएस प्लेयर्स, एवं विश्वव्यापी तौर पर छोटे और मध्यम- आकार के ऋणदाता शामिल हैं। परिचालनों को रोकने से प्रावेस के ग्राहकों को जोखिम में डाला जाता, तथा विलंबित लाइसेंस निर्गम प्रक्रिया के बाद परिचालनों को पुनः प्रारंभ करने से भारी चुनौतियाँ उपस्थित होतीं और साथ ही, ग्राहकों के साथ संबंध भी बाधित हो जाते। तथापि, यह बताया जाता है कि प्रावेस ने किन्हीं नये ग्राहकों को सेवा प्रदान नहीं की।

f. Despite the pending license renewal, Prowess remained committed to providing insurance solutions and assisting existing clients in risk mitigation. Prowess served a diverse clientele, including top names in trading and manufacturing, large contractor and EPC players, as well as small and mid-size lenders worldwide. Stopping operations would have put clients of Prowess at risk and restarting operations after a delayed license issuance poses substantial challenges and also hampers relationship with the clients. However, it is stated that Prowess had not serviced any new clients.

छ. प्रावेस अपने पंजीकरण के समापन के बारे में अवगत नहीं है क्योंकि पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन था। पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान प्रावेस आईआरडीएआई के साथ लगातार संपर्क में रहा था। प्रावेस ने व्यवसाय को रोकने के लिए आईआरडीएआई से कोई निदेश प्राप्त नहीं किया।

g. Prowess was not aware about the expiry of its registration as the application for renewal of registration was under process. Prowess was continuously communicating with IRDAI during the processing of application for renewal of registration. Prowess did not receive any direction from IRDAI to stop business.

ज. प्रावेस केवल वर्तमान ग्राहकों को ही सर्विसिंग प्रदान कर रहा था, तथा अपने पंजीकरण की समाप्ति के बाद किन्हीं नये ग्राहकों को प्रवेश (आनबोर्डिंग) नहीं दिया गया।

h. Prowess was only servicing the existing clients and no new clients were onboarded after the expiry of its registration.

झ. प्रावेस प्रत्यक्ष बीमा दलाल के लिए अनुमत कार्यकलापों में सक्रिय है। प्रावेस ने जोखिम प्रबंध सेवाएँ आदि भारतीय / विदेशी बीमाकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध कराई हैं।

i. Prowess is engaged in activities allowed to direct insurance broker. Prowess has provided risk management services etc. to the Indian Clients serviced by the Indian / foreign Insurer.

ञ. प्रावेस ने वैयक्तिक सुनवाई में सहमति जताई कि एक या दो उदाहरणों में, उसने अपने ग्राहकों को प्रतिधारित करने के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय का संचालन किया था, जिसके कारण कुछ उल्लंघन हुए थे। तथापि, प्रावेस भविष्य में ऐसे कार्यकलापों में सक्रिय न रहने के लिए वचनबद्ध है।

j. Prowess agreed in the personal hearing that in one or two instances, it had conducted reinsurance business in order to retain its clients, due to which there were some violations. Prowess, however, undertakes not to engage in such activities in future.

प्राधिकरण की टिप्पणियाँ / Observations of the Authority:

16. इस विषय में प्राधिकरण की टिप्पणियाँ नीचे दी जा रही हैं:
The observations of the Authority on the matter are outlined below:

क. प्रावेस द्वारा अपने नवीकरण आवेदन की जाँच के दौरान, एससीएन के प्रत्युत्तर में तथा वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों पर विधिवत् विचार किया गया है।

a. The submissions presented by Prowess during examination of its renewal application, in response to the SCN and during the personal hearing were duly considered.

ख. प्रावेस के प्रस्तुतीकरणों पर उनकी असंगति और प्रासंगिक सामंजस्य के अभाव के लिए ध्यान दिया गया है।

b. The submissions of Prowess have been noted for their inconsistency and occasional lack of coherence.

ग. जबकि प्रावेस ने अपने दावे को बारंबार निश्चयपूर्वक कहा, वह निर्णायक तौर पर यह साबित नहीं कर सका कि दी गई सेवाएँ प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा व्यवसाय के कार्यकलापों के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के बजाय, विनियमों के अनुसार एकमात्र तौर पर "जोखिम प्रबंध" के रूप में वर्गीकृत हैं।

c. While Prowess frequently asserted its claim, it failed to conclusively establish that the services rendered were exclusively categorized as "Risk Management" services as per the Regulations, rather than being classified under Direct and Reinsurance business activities.

घ. प्रावेस ने अपने प्रस्तुतीकरणों में स्वीकार किया कि अपने व्यवसाय माडल के अनुसार, उसने विदेशी बीमा भागीदारों के साथ लेनदेन किया जिन्होंने बीमा कवर का जोखिम-अंकन करने के लिए सहमति दी।

d. Prowess in its submissions had admitted that, as per its business model, it dealt with the overseas insurance partners who agreed to write insurance cover.

ङ. प्रावेस राजकोषीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लिए व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित करार / लिखित अधिदेश और तदनुरूपी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर सका, इस प्रकार अपने प्रस्तुतीकरणों के लिए समर्थक प्रलेखीकरण का उसके पास अभाव था।

e. Prowess was unable to provide Agreements / Written Mandates and the corresponding reports concerning business activities for the fiscal year 2017-18 till 2020-21, thus lacking supportive documentation for its submissions.

च. विनियमों के विनियम 27(4) के अनुसार प्रावेस को "जोखिम प्रबंध" सेवाएँ देने के लिए ग्राहक से एक लिखित अधिदेश प्राप्त करना तथा ग्राहक को दी गई जोखिम अंकन सेवाओं का एक अभिलेख रखना चाहिए था, जिसमें ग्राहक का नाम, जोखिम का स्थान, की गई जोखिम प्रबंध सेवाओं का स्वरूप और प्रकार, ग्राहक से प्रभारित शुल्क की राशि, प्रभारित शुल्क का आधार आदि जैसा ब्योरा शामिल होगा।

f. Prowess had to obtain a written mandate from the client to offer "Risk Management" services in terms of Reg. 27(4) of the Regulations and keep a record of the risk management services offered to the client which will include details such as name of the client, place of risk, nature and type of risk

management services undertaken, amount of fee charged from the client, basis of fee charged etc.

छ. वैयक्तिक सुनवाई के दौरान, प्रावेस ने कुछ पुनर्बीमा लेनदेनों में संबद्ध होना स्वीकार किया जो कि विनियामक उपबंधों का उल्लंघन है।

g. During the personal hearing, Prowess admitted to engaging in a few reinsurance transactions that contravened regulatory provisions.

ज. प्रावेस को एक और अवसर देने के लिए, प्राधिकरण ने अपने संदेश-पत्र दिनांक 14 जून, 2024 के द्वारा करार/लिखित अधिदेश प्रस्तुत करने के लिए उसको सूचित किया। तथापि, प्रावेस ने अपने पत्र दिनांक 18 जून, 2024 में अपने पूर्व के प्रस्तुतीकरण दोहराये और कहा कि उन्होंने कोई औपचारिक करार नहीं किये और कोई लिखित अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया।

h. In order to provide one more opportunity to Prowess, Authority vide its communication dated 14th June, 2024 advised it to provide Agreements/Written Mandates, However, Prowess in its letter dated 18th June, 2024 reiterated its earlier submissions and stated that they had not entered into any formal agreements and did not provide any written mandate.

झ. प्रावेस ने अपने मुंबई कार्यालय से व्यवसाय का संचालन विदेश स्थित बीमा दलालों, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ किया और कमीशन/पारिश्रमिक अर्जित किया। प्रावेस उपर्युक्त कार्यकलापों में अपने आईआईआईओ की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले भी और उसके बाद भी दोनों समय सक्रिय रहा।

i. Prowess had conducted business activities from its Mumbai office with insurance brokers, insurance companies and reinsurance companies located abroad and earned commission/remuneration. Prowess engaged in the abovementioned activities both prior to and post grant of approval for establishment of its IIIO.

ञ. प्रावेस को, एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में परिचालन करते हुए, एकमात्र तौर पर भारत में स्थित बीमाकर्ताओं के साथ ही व्यवसाय संचालित करने के लिए अनुमति दी गई है। अतिरिक्त रूप से, एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में उसके वर्गीकरण के कारण पुनर्बीमा परिचालन करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया गया है।

j. Prowess, operating as a Direct broker, is exclusively permitted to conduct business transactions solely with insurers based in India. Additionally, it is not authorized to undertake reinsurance operations due to its classification as a Direct broker.

ट. प्रावेस ने विदेश स्थित बीमा दलालों, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ लेनदेन करने में सक्रिय रहने के द्वारा विनियमों में दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है।

k. Prowess by engaging in transactions with insurance brokers, insurance companies and reinsurance companies located abroad, violated the stipulations outlined in the Regulations.

ठ. प्रावेस द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण कि उसे व्यवसाय रोकने के लिए आईआरडीएआई से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ, स्वीकार्य नहीं है। प्रावेस का पंजीकरण 21 सितंबर, 2021 तक विधिमान्य रहा, और तब से उसका नवीकरण नहीं किया गया है। विनियमों के अनुसार, किसी भी बीमा दलाल को पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद, वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग को छोड़कर कोई नया बीमा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

l. The submission made by Prowess that it did not receive any directive from IRDAI to stop business is untenable. The registration of Prowess remained valid until 21st September, 2021, and has not been renewed since. As per the Regulations, no insurance broker shall be allowed to do any fresh insurance business after expiry of the certificate of registration, except servicing the existing policyholders.

ड. इसके अलावा, प्रावेस द्वारा किया गया निश्चयपूर्वक कथन कि उसका पंजीकरण समाप्त होने के बाद वह एकमात्र तौर पर वर्तमान ग्राहकों की सर्विसिंग करने में ही सक्रिय रहा है, प्रमाणित नहीं किया गया है, इस स्थिति के होते हुए कि प्रावेस ने अपना पंजीकरण समाप्त होने के बाद व्यवसाय के लेनदेन करना जारी रखा है।

m. Further, the assertion made by Prowess that it solely engaged in servicing existing clients following the expiration of its registration is unsubstantiated, given that Prowess continued conducting business transactions after its registration had expired.

ढ. प्रावेस ने अपना पंजीकरण समाप्त होने के बाद व्यवसाय के लेनदेनों में सक्रिय रहने के द्वारा उक्त दिशानिर्देशों में दिये गये उपबंधों का उल्लंघन किया है।

n. Prowess, by engaging in business transactions after the expiration of its registration, violated the provisions outlined in the Guidelines.

ण. प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के दौरान छत्तीस दिनों पर घटित होने के ऐसे उनतालीस उदाहरण देखे हैं, जिनमें प्रावेस ने विनियमों में बताये गये संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय का संचालन किया है। इसके अलावा, प्रावेस ने दिशानिर्देशों में बताये गये संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने पंजीकरण की समाप्ति के बाद एक लेनदेन संचालित किया है।

o. The Authority noted thirty-nine such occurrences on thirty-six days during the FY 2017-18 to FY 2020-21, wherein Prowess conducted business in violation of the relevant provisions outlined in the Regulations. Further, one transaction was conducted by Prowess after the expiry of its registration in violation of the relevant provisions outlined in the Guidelines.

निर्णय / Decision:

17. इस विषय में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्राधिकरण पाता है कि प्रावेस ने आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 2(च) और 13(1) तथा आईआरडीएआई (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय) दिशानिर्देश, 2019 के खंड 11 और 15(ख) का उल्लंघन किया है।

Given the facts and circumstances of the matter, the Authority finds that Prowess was in violation of Reg. 2(f) and 13(1) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and Clause 11 and 15(b) of the IRDAI (International Financial Service Centre Insurance Intermediary Offices) Guidelines, 2019.

18. तदनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा उपर्युक्त उल्लंघनों के लिए रु. 37,00,000/- (केवल सैंतीस लाख रुपये) का अर्थदंड लगाता है। यह अर्थदंड प्रावेस द्वारा एनईएफटी/ आरटीजीएस (जिसके लिए विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर विप्रेषित किया जाएगा। विप्रेषण की सूचना श्री के. महीपाल रेड्डी, मुख्य महाप्रबंधक

(मध्यवर्ती - दलाल) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबौली, हैदराबाद-500032, ई-मेल आईडी – brokers@irdai.gov.in को भेजी जाए।

Accordingly, in exercise of the powers vested under Section 102(b) of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby levies a penalty of Rs. 37,00,000/- (Rs. Thirty-Seven Lakhs only) for the above violations. The penalty shall be remitted by Prowess within a period of 45 days from the date of receipt of this Order through NEFT/RTGS (details for which will be communicated separately). An intimation for remittance may be sent to Mr. K. Mahipal Reddy, Chief General Manager (Intermediaries-Brokers) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy. No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, email id – brokers@irdai.gov.in.

19. यह आदेश प्रावेस के बोर्ड के समक्ष उसकी तत्काल अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि बोर्ड उक्त उल्लंघन पर ध्यान दे सके और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों से बचने के लिए निवारक कदम उठा सके। प्रावेस उक्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

This Order shall be placed before the Board of Prowess at its next immediate meeting, so that the Board can take note of the violation and take necessary preventive steps to avoid such violations in future. Prowess shall provide the Authority with a copy of the minutes of the said meeting.

20. यदि प्रावेस इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If Prowess feels aggrieved by this Order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.

(प्रमोद कुमार अरोड़ा / Parmod Kumar Arora)	(राजय कुमार सिन्हा / Rajay Kumar Sinha)
सदस्य / Member (बीमांकक / Actuary)	सदस्य / Member (वित्त व निवेश / F&I)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad
दिनांक / Date: 12 जुलाई, 2024 / 12th July, 2024